

सी.जे. पॉल और अन्य

बनाम

जिला समाहर्ता और अन्य

(2009 की दीवानी अपील सं. 4968)

31 जुलाई, 2009

[एस. बी. सिन्हा और दीपक वर्मा, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 — धारा 47 ए एवं 19 बी — इनके अंतर्गत की गई कार्यवाही — परिसीमा की अवधि — तमिलनाडु राज्य द्वारा संशोधित प्रावधानों की व्याख्या तथा/अथवा उनके अनुप्रयोग — विचार किया गया।

विधि की व्याख्या — कठोर व्याख्या — दण्डात्मक अधिनियम — अभिनिर्धारित: ऐसा परिसीमा संबंधी अधिनियम, जो वैधानिक प्राधिकारियों को दण्ड अधिरोपित करने की अधिकारिता प्रदान करता है, उसकी कठोर एवं संकीर्ण व्याख्या की जानी चाहिए। किसी दण्डात्मक विधि को, जब तक कि विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता।

वर्ष 1990 में, अपीलकर्ताओं ने तमिलनाडु राज्य में स्थित कुछ संपत्तियाँ विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से क्रय की थीं। उक्त विक्रय विलेखों के निष्पादन की जानकारी उप-पंजीयक को वर्ष 1996 में प्राप्त हुई तथा इसके पश्चात् वर्ष 1998 में उसने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए(1) तथा धारा 19 बी के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की, ताकि उन विक्रय विलेखों के संबंध में देय स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली की जा सके।

वर्तमान अपील में विचारणीय प्रश्न यह था कि तमिलनाडु राज्य द्वारा संशोधित अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या तथा/अथवा उनका अनुप्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि धारा 47 ए के अंतर्गत कार्यवाही केवल पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर ही प्रारम्भ की जा सकती थी तथा चूँकि उक्त कार्यवाही आठ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद प्रारम्भ की गई, इसलिए वह परिसीमा द्वारा बाधित थी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिन विक्रय विलेखों का मामला विचाराधीन है, उनके निष्पादन के पश्चात् अधिनियम में जो संशोधन किए गए, वे वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होते, अतः उन संशोधित प्रावधानों का सहारा लेकर कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1.1. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47 ए को अधिनियम संख्या 24, 1967 द्वारा तमिलनाडु राज्य में जोड़ा गया था। इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए परिसीमा अवधि दो वर्ष निर्धारित थी। बाद में तमिलनाडु अधिनियम संख्या 1/2000 द्वारा धारा 47 ए में संशोधन किया गया, जो 6-3-2000 से प्रभावी हुआ जिसके द्वारा और जिसके अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने की परिसीमा अवधि बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दी गई। यह तर्क कि अधिनियम संख्या 1/2000 द्वारा किया गया यह संशोधन मात्र स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। [कंडिका 11 और 17] [241-ए-सी; डी 242-ई]

1.2. अधिनियम की धारा 19 बी को 1992 के तमिलनाडु अधिनियम 43 द्वारा जोड़ा गया था। धारा 19 बी (4) के साथ संलग्न परंतुक में बाद में संशोधन किया गया, जिसके तहत "ऐसे लिखत के पंजीकरण की तिथि से" शब्दों के स्थान पर "पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में ऐसे लिखत की प्रति प्राप्त होने की तिथि से" शब्द प्रतिस्थापित किए गए। यह संशोधन तमिलनाडु अधिनियम संख्या 39/1999 के द्वारा किया गया और 22-2-2000 से प्रभावी हुआ। इस प्रकार, धारा 19 बी(4) के परंतुक के अनुसार चार वर्ष की परिसीमा अवधि निर्धारित की गई थी, किन्तु संबंधित समय पर लागू विधि के

अनुसार यह अवधि लिखत के पंजीकरण की तिथि से चार वर्ष थी। राज्य ने जानबूझकर पंजीकरण की तिथि से "चार वर्ष" शब्दों का प्रयोग किया था। बाद में राज्य को यह अनुभव हुआ कि उक्त अवधि के भीतर स्टाम्प शुल्क की चोरी का पता लगाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए प्रावधान में संशोधन किया गया ताकि परिसीमा अवधि की गणना पंजीकरण की तिथि से नहीं, बल्कि जानकारी प्राप्त होने अथवा लिखत की प्रति प्राप्त होने की तिथि से प्रारम्भ हो। यह संशोधन भी पूर्वव्यापी प्रभाव वाला नहीं है। [कंडिका 9, 10, 14 और 17] [239-ई; 241-ए, बी, एफ, जी; 242-एफ]

1.3. धारा 47 ए और 19 बी में जुर्माने का प्रावधान है। ऐसा परिसीमा संबंधी विधिक प्रावधान, जो किसी वैधानिक प्राधिकारी को दण्ड अधिरोपित करने की अधिकारिता प्रदान करता है, उसकी कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। किसी दण्डात्मक अधिनियम को, जब तक कि उसमें स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। [कंडिका 15] [241-एच; 242-ए-बी]

1.4. तमिलनाडु राज्य द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम में किए गए संशोधनों को केवल भावी प्रभाव वाला माना जाना चाहिए। सामान्यतः इस प्रकार के मामलों में ज्ञान प्राप्त होने की तिथि ही परिसीमा अवधि की गणना के लिए प्रारम्भिक बिंदु होती है। तमिलनाडु राज्य के अधिकारियों को 1-2-1990 के विक्रय विलेखों के निष्पादन की जानकारी 30-3-1996 को ही प्राप्त हुई थी। इसलिए, यदि कोई कार्यवाही की जानी थी, तो धारा 47 ए के अनुसार उक्त तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर की जा सकती थी। किन्तु धारा 19 बी के अनुसार निर्धारित परिसीमा अवधि पंजीकरण की तिथि से चार वर्ष थी, न कि ज्ञान प्राप्त होने की तिथि से चार वर्ष। [कंडिका 16] [242-बी-डी]

1.5. अब यह सुव्यवस्थित है कि न्यायालय किसी विधि में विद्यमान रिक्तता, चूक अथवा अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता। [कंडिका 18] [242-जी-एच]

रितेश अग्रवाल और अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2008) 8 एससीसी 205 और दक्षिणी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड बनाम विद्युत निरीक्षक और ईटीआईओ और अन्य (2007) 5 एससीसी 447 अवलंबित।

मामला कानून संदर्भ:

(2008) 8 एससीसी 205 अवलंबित कंडिका 15

(2007) 5 एससीसी 447 अवलंबित कंडिका 17

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 4968/2009।

2001 का डब्ल्यू.ए. सं. 2922 , 2923 2924 और 2925 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 21.11.2006 के दिनांक निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए के. राजीव।

उत्तरदाताओं के लिए आर. सुंदरवरदन, आर. नेदुमारन।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

एस. बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति 1. अनुमति दी गई।

2. तमिलनाडु राज्य द्वारा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (संक्षेप में "अधिनियम") के प्रावधानों की व्याख्या और/या अनुप्रयोग यहाँ प्रश्नगत है।

यह निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होता है:

अपीलकर्ताओं ने यहां तमिलनाडु राज्य में देवला गाँव, गुडलूर तालुक, नीलगिरी, में स्थित कुछ संपत्तियों को दिनांक 1.02.1990 के बिक्री के एक पंजीकृत विलेख द्वारा खरीदा। कुछ भूमि केरल राज्य में भी स्थित हैं। तमिलनाडु राज्य में उनके द्वारा खरीदी गई भूमि का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	खरीददार का नाम	सर्वे सं.	क्षेत्र	दस्तावेज सं. और दिनांक
1.	सी.जे. पॉल,	146, 147/2,2,3	44.00 एकड़	382/90 -

	मलपुरम			2.2.90
2.	सी.पी. जोस, मलपुरम	-वही- 2.2.90	44.01 एकड़	381/90 -
3.	वी.एम. मैरी, मलपुरम	-वही- 2.2.90	44.00 एकड़	383/90 -
4.	सी.जे. मैथ्यूज, मलपुरम	-वही-	44.00 एकड़	384/90 - 2.2.90

3. उप-पंजीयक, गुडलूर को 30.03.1996 को या उसके आसपास बिक्री के उक्त विलेखों के निष्पादन के बारे में पता चला। इसने अधिनियम की धारा 47 ए (1) और उसकी धारा 19 बी के तहत कार्यवाही शुरू की। स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत तत्कालीन समाहर्ता को 5.05.1998 के लगभग पत्र प्रेषित कर कार्यवाही आरम्भ की गई। तथापि, प्रपत्र-1 में नोटिस 7.06.1998 को निर्गत किया गया।

4. अपीलकर्ताओं ने उक्त नोटिस की विधिसंगतता को प्रश्नगत बनाते हुए रिट याचिका दायर की थी। उक्त रिट याचिका को एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया:

"12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से, यह स्पष्ट है कि सभी लेन-देन प्रामाणिक नहीं प्रतीत होते हैं और उदाहरण के लिए इन लेन-देनों की प्रकृति और उद्देश्य के संदर्भ में कई प्रश्न अनुत्तरित रहते हैं। जब परिवार के सदस्यों को तमिलनाडु में लगभग 176 एकड़ भूमि के संबंध में विक्रय विलेख प्राप्त करना था, तो उन्हें 16 सेंट

भूमि के विक्रय को उसके साथ जोड़ने के लिए केरल जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसी प्रकार, यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन भूमियों के हस्तांतरणी विक्रेता फादर थॉमस ने 04.09.1990 को 16 सेंट भूमि क्यों खरीदी, ताकि बाद में तमिलनाडु स्थित उक्त भूमि का विक्रय किया जा सके। गुडालूर जेनम एस्टेट्स (उन्मूलन एवं रैयतवारी में रूपांतरण) अधिनियम (अधिनियम संख्या XXIV/1969) की धारा 3 के अनुसार भूमि के निहित हो जाने के पश्चात्, जेनमी केवल रैयतवारी पट्टा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, बशर्ते कि वे नियुक्त तिथि अर्थात् 01.06.1969 को उस भूमि की स्वयं खेती कर रहे हों और इसी प्रकार, जेनमियों के अधीन किरायेदार भी तभी रैयतवारी पट्टा पाने के अधिकारी होते हैं, यदि वे उस तिथि को भूमि की व्यक्तिगत रूप से खेती कर रहे हों। वर्तमान मामले में कहा गया है कि एक मैथ्यू कुट्टी ने वर्ष 1967 में उक्त भूमि खरीदी थी और बाद में उसे फादर थॉमस को बेच दिया। प्रथमदृष्टया ये सभी लेन-देन किसी गुप्त अथवा अनुचित उद्देश्य से किए गए प्रतीत होते हैं।

13. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने *एम. पोन्नुसामी और अन्य बनाम जिला समाहर्ता* (1992) 2 विधि साप्ताहिक 331 के निर्णय को संदर्भित किया, जिसमें इस न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया है कि अधिनियम की धारा 47-ए(1) के तहत संदर्भ पंजीकरण पूरा होने के तुरंत बाद या अथवा यथाशीघ्र, और किसी भी स्थिति में दस्तावेज के पंजीकरण की पूर्णता की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय याचिकाकर्ता के लिए किसी प्रकार से सहायक नहीं है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं को कार्यालय में दस्तावेज प्राप्त होते ही स्टाम्प शुल्क की कमी का भुगतान करने के लिए कहा गया था तथा वर्ष 1998 में ही याचिकाकर्ताओं को संदर्भ संबंधी नोटिस जारी कर दिया गया था, जो इन रिट याचिकाओं में चुनौती का विषय है, तत्पश्चात्, जांच के उपरांत उप समाहर्ता ने

नवंबर, 2000 में बाजार मूल्य का निर्धारण करते हुए आदेश पारित किया। अतः इन मामलों में परिसीमा का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।”

5. इसके खिलाफ रिट अपीलों को प्राथमिकता दी गई और उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने आक्षेपित आदेश के कारण उक्त अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया:

“5. यह विवाद में नहीं है कि दस्तावेजों के तहत आने वाली संपत्तियां तमिलनाडु राज्य के भीतर हैं। लेकिन दस्तावेज केरल राज्य के कलपेट्टा में पंजीकृत किए गए थे। अधिनियम की धारा 19-बी (1) के अनुसार, जब तक कि तमिलनाडु राज्य में ऐसा दस्तावेज प्राप्त नहीं होता है, तब तक अवमूल्यन के लिए कोई कार्यवाई नहीं की जा सकती है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त प्रावधान पर भरोसा करते हुए और यह नोट करने के बाद कि फरवरी, 1990 में पंजीकृत वे दस्तावेज, उप-पंजीयक, गुडलूर के कार्यालय द्वारा केवल 30.03.1996 को प्राप्त किए गए थे और अधिनियम की धारा 19-बी के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी और संदर्भ के लिए आगे की कार्यवाही 05.05.1998 को की गई थी, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही परिसीमा से बाधित नहीं है। प्रासंगिक प्रावधान, विशेष रूप से, अधिनियम की धारा 19-बी (1) और तथ्यात्मक जानकारी पर विचार करने के पश्चात् कि उक्त दस्तावेज फरवरी 1990 में केरल में पंजीकृत किए गए थे, किन्तु उनकी प्रतियाँ उप-पंजीयक, गुडलूर के कार्यालय द्वारा केवल 30.03.1996 को प्राप्त किए गए थे, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से सहमत हैं। तदनुसार, इन रिट अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, हम सभी रिट अपीलों को खारिज कर देते हैं। कोई लागत नहीं।”

6. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के. राजीव तर्क देते हैं कि अधिनियम की धारा 47 ए के अंतर्गत कार्यवाही केवल पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर ही प्रारम्भ की जा सकती थी, और चूँकि वर्तमान मामले में यह कार्यवाही

आठ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद प्रारम्भ की गई, इसलिए यह परिसीमा द्वारा बाधित थी।

7. इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने एक गंभीर त्रुटि की क्योंकि वह इस बात को ध्यान में रखने में विफल रहा कि विक्रय विलेखों के निष्पादन के पश्चात् अधिनियम में किए गए संशोधन वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।"

8. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से पेश होते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. सुंदरवरदन, ने यह तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 19बी एक विशेष प्रावधान होने के कारण, परिसीमा अवधि की गणना अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारियों को जानकारी प्राप्त होने की तिथि से प्रारम्भ होगी, न कि दस्तावेजों के पंजीकरण की तिथि से। किसी भी स्थिति में, अधिनियम की धारा 19बी(4) के साथ संलग्न परंतुक में चार वर्ष की परिसीमा अवधि निर्धारित की गई है, आक्षेपित निर्णय में कोई ऐसी त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर उसे दोषपूर्ण ठहराया जा सके।

9. यह अधिनियम स्टाम्पों से संबंधित विधि को समेकित एवं संशोधित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। राज्य द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रकार के लिखतों पर स्टाम्प शुल्क देय होता है।

अधिनियम की धारा 19बी को 1992 के तमिलनाडु अधिनियम 43 द्वारा जोड़ा गया था। यह इस प्रकार है:

"19बी. जब मूल अथवा मूल दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो, तब उसकी प्रतियों, समकक्ष प्रतियों अथवा प्रतिरूप पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान।

(1) जहां कोई भी उपकरण तमिलनाडु राज्य के अलावा भारत के किसी भी हिस्से में पंजीकृत है और ऐसा उपकरण तमिलनाडु राज्य में स्थित किसी भी संपत्ति से पूरी तरह या आंशिक रूप से संबंधित, ऐसे दस्तावेज की प्रति, जब पंजीकरण अधिनियम,

1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम XVI) के तहत तमिलनाडु राज्य में प्राप्त होती है, तो मूल पर शुल्क के अंतर के साथ प्रभारित होने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) शुल्क के अंतर की गणना इन बातों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी -

(क) तमिलनाडु राज्य में स्थित संपत्ति का विस्तार; और

(ख) संपत्ति की ऐसी सीमा का आनुपातिक प्रतिफल या मूल्य या बाजार मूल्य।

(3) मूल साधन पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पक्ष पंजीकरण अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर, ऐसे पंजीकरण अधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर कर्तव्य में अंतर का भुगतान करेगा।

(4) जहाँ किसी लिखत की प्रति से यह प्रतीत हो कि उस पर देय मुद्रांक शुल्क में कमी का भुगतान किया गया है, वहाँ समाहर्ता स्वयं संज्ञान लेते हुए अथवा किसी न्यायालय या किसी पंजीकरण अधिकारी के संदर्भ पर, संबंधित व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह मूल दस्तावेज़ को उसके समक्ष, उसके द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करे, ताकि वह यह संतुष्ट हो सके कि उस पर पर्याप्त मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया गया है या नहीं, और इस प्रकार समाहर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़ ऐसा माना जाएगा मानो वह उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया हो या उसके संज्ञान में आया हो, और ऐसी स्थिति में धारा 47-ए के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही, पंजीकरण अधिनियम, 1908 (केंद्रीय अधिनियम संख्या XVI, 1908) के अधीन तमिलनाडु राज्य में ऐसे लिखत की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् नहीं की जाएगी।

(5) यदि मूल दस्तावेज़ समाहर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो वह उस दस्तावेज़ की प्रति के आधार पर, यदि कोई मुद्रांक शुल्क की कमी देय हो, तो उसकी वसूली तथा धारा 40 के अंतर्गत अधिरोपित दण्ड के भुगतान की अपेक्षा कर सकता है। यह भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर किया जाएगा।”

10. हम देख सकते हैं कि धारा 19बी(4) में संलग्न परंतुक में "ऐसे लिखत के पंजीकरण की तारीख से" के स्थान और स्थान पर एक संशोधन किया गया था, शब्द "पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत तमिलनाडु राज्य में ऐसे लिखत की प्रति की प्राप्ति की तारीख से" डाला गया था। उक्त संशोधन 1999 के तमिलनाडु अधिनियम 39 के संदर्भ में 22.02.2000 से प्रभावी हुआ।

11. अधिनियम की धारा 47 ए को 1967 के अधिनियम 24 द्वारा तमिलनाडु राज्य में जोड़ा गया था। निर्विवाद रूप से, इस आधार पर कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि दो साल थी। हालाँकि, अधिनियम की धारा 47 ए में 2000 के तमिलनाडु अधिनियम 1 द्वारा एक संशोधन भी किया गया जो 6.03.2000 से प्रभावी हुआ जिसके द्वारा और जिसके अंतर्गत सीमा की अवधि को पाँच साल तक बढ़ा दिया गया था।

12. स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का दायित्व किसी दस्तावेज़ की प्रस्तुति पर उत्पन्न होता है। निर्विवाद रूप से, केरल राज्य के पंजीकरण कार्यालय के पास पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में दस्तावेज़ को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र था।

13. तमिलनाडु राज्य के पंजीकरण प्राधिकरण 30.03.1996 को उक्त दस्तावेज़ों के पंजीकरण के बारे में तब पता चला जब उन्हें कुछ अधिकारियों के समक्ष दाखिल किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, अकेले समाहर्ता घाटे के स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करेंगे। कार्यवाही 5.05.1998 को शुरू की गई थी लेकिन नोटिस केवल 7.06.1998 को जारी किया गया था।

14. जहाँ तक अधिनियम की धारा 47 ए का संबंध है, सीमा की अवधि दो वर्ष है। अधिनियम की धारा 19बी(4) में संलग्न परंतुक के संदर्भ में चार साल की अवधि की सीमा का प्रावधान किया गया था, लेकिन कानून जो सीमा की अवधि को लागू करने के लिए प्रदान किए गए प्रासंगिक समय पर लागू था, पंजीकरण की तारीख से चार साल था।

15. अधिनियम की धारा 47 ए और 19 बी में दंड का प्रावधान है। अतः ऐसा परिसीमा संबंधी विधिक प्रावधान, जो वैधानिक प्राधिकारियों को दण्ड अधिरोपित करने की अधिकारिता प्रदान करता है, उसकी कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। एक दंडात्मक कानून, जैसा कि सर्वविदित है, जब तक कि स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। [देखें *रितेश अग्रवाल और एक अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड* (2008) 8 एससीसी 205]

16. अतः तमिलनाडु राज्य द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधनों को केवल भावी प्रभाव वाला माना जाना चाहिए। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सामान्यतः इस प्रकार के मामलों में ज्ञान प्राप्त होने की तिथि ही परिसीमा अवधि की गणना का प्रारम्भिक बिंदु होती है। तमिलनाडु राज्य के अधिकारियों को दिनांक 01.02.1990 के विक्रय विलेखों के निष्पादन की जानकारी 30.03.1996 को प्राप्त हुई थी। अधिनियम की धारा 47 ए के अनुसार, यदि कोई कार्यवाही की जानी थी, तो उसे उक्त तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रारम्भ किया जा सकता था। किन्तु अधिनियम की धारा 19 बी के अनुसार निर्धारित परिसीमा अवधि ज्ञान प्राप्त होने की तिथि से नहीं, बल्कि पंजीकरण की तिथि से चार वर्ष थी।

17. श्री सुंदरवरदन का तर्क कि 2000 के अधिनियम 1 द्वारा किया गया बाद का संशोधन केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का था जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राज्य ने जानबूझकर 'पंजीकरण की तिथि से चार वर्ष' शब्दों का प्रयोग किया था। बाद में उसे यह अनुभव हुआ कि उक्त अवधि के भीतर स्टाम्प शुल्क की चोरी का पता लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। तब उक्त प्रावधान में संशोधन किया गया, ताकि परिसीमा अवधि की गणना

पंजीकरण की तिथि से नहीं, बल्कि अधिकारियों को जानकारी प्राप्त होने की तिथि से प्रारम्भ हो। अतः यह संशोधन भी पूर्वव्यापी न होकर केवल भावी प्रभाव वाला है।

अब यह सुव्यवस्थित है कि न्यायालय अपनी व्याख्या के माध्यम से उस कमी की पूर्ति नहीं कर सकता। [देखें दक्षिणी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड बनाम विद्युत निरीक्षक और ई.टी.आई.ओ. और अन्य (2007) 5 एस. सी. सी. 447]

18. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय संधार्य नहीं है जिसे तदनुसार अपास्त किया जाता है। अपील की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

बी.बी.बी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।